



को तैयार है, लेकिन प्रार्थी के भाई तेजाराम ने तत्कालिन सरपंच संतोष भाटी से आपराधिक षडयंत्र करते हुए ग्राम पंचायत को हानि पहुंचाकर अप्रार्थी संख्या 01 को लाभ देते हुए अप्रार्थीया पेपीदेवी के नाम स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी कर दिया जिसके आधार पर पेपीदेवी ने उक्त भूखण्ड का बख्शीशनामा प्रार्थी के भाई तेजाराम के नाम दिनांक 16.04.2018 को करके पंजीबद्ध करवा दिया, जिसके आधार पर पेपी देवी एवं उसका पुत्र तेजाराम आराजी पर कब्जे एवं मौके की स्थिति में परिवर्तन करने तथा प्रार्थी द्वारा विरोध करने पर उक्त वादग्रस्त भूखण्ड का बेचाण करने को आमादा है। ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है, जिसके सन्दर्भ में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 19.04.2017 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिससे स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल विधिवत आदेश पारित कर पट्टा जारी कर सकती है। इस प्रकार ग्राम पंचायत द्वारा की गई सम्पूर्ण कार्यवाही ही एब-इनिशियो-वॉर्ड होने से अपास्त योग्य है। जैर निगरानी पट्टा का न तो मौका देखा गया और न ही आपत्तियों के संबध में किसी प्रकार का नोटिस इस्तेहार जारी किया गया केवल खानापुर्ति कर पंचायत नियमों के विरुद्ध अप्रार्थी को विक्रय विलेख जारी किया है, जो खारिज किया जाना न्यायसंगत है। अतः निगरानी स्वीकार करावे एवं जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा खारिज करावे।

विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी ने बहस में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना में वणित तथ्यों को निराधार मान कर अस्वीकार करते हुए कथन किया कि ग्राम पंचायत रानी कला द्वारा जैर निगरानी पट्टा पंचायत नियमों की पालना करते हुए किया हैं, जिसमें किसी प्रकार की त्रुटि नहीं की गई है। अप्रार्थी श्रीमती पेपी पत्नी हीराराम चौधरी ने ग्राम पंचायत में विधिवत पुश्तैनी मकान का पट्टा जारी करने हेतु आवेदन किया है, जिसके आधार ग्राम पंचायत ने मिसल संख्या 24 दिनांक 18.02.2019 को कायम कर विधिवत प्रक्रिया अपनाते हुए जैर निगरानी पट्टा जारी किया हैं, जिसमें किसी भी प्रकार से पंचायत राज. नियमों की अवहेलना नहीं की गई। ग्राम पंचायत द्वारा विधिनु रूप कार्यवाही करते हुए पट्टा जारी किया है जिसमें कोई त्रुटि नहीं है। अतः निगरानी खारिज करावे।

हमने उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख व दस्तावेजों का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 24/18.02.2019 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 12.09.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की है। प्रार्थी का ग्राम रानीकलां में पुश्तैनी, अधिपत्यशुदा भूखण्ड है, जिसके संबध में ग्राम पंचायत से पट्टा प्राप्त करने हेतु प्रार्थी के पिता हीराराम ने ग्राम पंचायत रानीकलां में दिनांक 31.07.2005 को आवेदन पेश किया था, आवेदन के आधार पर मिसल संख्या 05/2005-06 दर्ज कर मौका निरीक्षण हेतु तीन सदस्यों को नियुक्त किया गया। भूखण्ड का नक्शा तैयार कर शामिल मिसल किया गया एवं एक माह का आपत्ति पत्र जारी करने का आदेश पारित किया, तत्पश्चात दिनांक 02.07.2008 को पंचायत बैठक में पेश आपत्ति पर सभी पक्षों का सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुए प्रार्थी के पिता हीराराम के पक्ष में पुश्तैनी कब्जाशुदा, आधिपत्य का प्रमाणित मानते हुए ग्राम पंचायत रानीकलां ने आबादी की प्रमाणित बाजार दर से उपरोक्त भूखण्ड का प्रार्थी के पिता हीराराम के नाम पट्टा जारी करने के आदेश पारित कर दिये। उक्त भूखण्ड के तय किये बाजार मुल्य अनुसार 10 प्रतिशत राशि प्रार्थी के पिता हीराराम द्वारा ग्राम पंचायत में जमा करवा दी गई। तत्पश्चात उपरोक्त भूखण्ड का पट्टा प्रार्थी के पिता के नाम जारी किया जाना था लेकिन प्रार्थी के पिता के नाम पट्टा जारी किया नहीं किया गया। प्रार्थी के पिता हीराराम का देहांत हो जाने के बाद भी किसी प्रकार का नोटिस या मांग पत्र प्रार्थी को प्राप्त नहीं हुआ। प्रार्थी के भाई तेजाराम ने अपनी माता पेपीदेवी के नाम से ग्राम पंचायत से मिलकर स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करवा दिया जिसके आधार पर पेपीदेवी ने उक्त भूखण्ड का बख्शीशनामा प्रार्थी के भाई तेजाराम के नाम दिनांक 16.04.2018 को



*(Handwritten signature)*

करके पंजीबद्ध करवा दिया। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा दिनांक 19.04.2017 को एक परिपत्र जारी किया गया है जिसमें स्पष्ट है कि ग्राम पंचायत को किसी प्रकार का स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी करने का अधिकार नहीं है। ग्राम पंचायत केवल विधिवत आदेश पारित कर पट्टा जारी कर सकती है। ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा जैर निगरानी आराजी भूखण्ड के स्वामित्व की जांच करवाई गई जिसमें तीन वार्ड पंचों को जाचकर्ता नियुक्ति किया गया जिसकी रिपोर्ट से स्पष्ट है कि उक्त आराजी भूखण्ड का वास्तविक मालिक सुजाराम पुत्र हीराराम चौधरी ही है, जिनको नियमानुसार पट्टा जारी करने की अनुषंशा की गई है। उपरोक्त निगरानी में वर्णित पडोस के बिच की संपत्ति के संबध में ग्राम पंचायत में पूर्व में मिसल संख्या 05/2005-06 संधारित की जा चुकी है जिसके निर्णय दिनांक 2.7.2008 को पारित कर बाजार दर से उपरोक्त संपत्ति को विक्रय किये जाने बाबत आदेश पारित कर 10 प्रतिशत राशि ग्राम पंचायत में जमा करवा दी गई थी। ऐसी स्थिति में दुबारा उपरोक्त भूखण्ड के संबध में न तो स्वामित्व प्रमाण पत्र जारी किया जा सकता है, एवं न ही उक्त भूखण्ड की पुनः मिसल कायम की जा सकती है। ग्राम पंचायत द्वारा उक्त भूमि का विक्रय विलेख रूपये 200/- में जारी कर दिया जबकि उक्त भूखण्ड के संबध में ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा दिनांक 02.07.2008 को आदेश पारित कर 69,840/- में विक्रय मुल्य तय किया था जिसमें से 10 प्रतिशत राशि 6984/- रूपये प्रार्थी के पिता द्वारा जमा करवा दी गई थी। प्रकरण में पंचायत के कोरम द्वारा पूर्व में उक्त प्रश्नगत भूमि को प्रार्थी के पिता एवं अप्रार्थी संख्या 1 के प्रति हिराराम की पुश्तैनी कब्जाशुदा भूमि मानते हुए पट्टा जारी करने का निर्णय लिया जा चुका है तो इस स्थिति में मात्र अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किया जाना विधिक प्रावधानों के विरुद्ध है। प्रकरण में प्रार्थी हिराराम के पुत्र होना तथा अप्रार्थी संख्या 1 को हिराराम की पत्नि होने बाबत तथ्य को किसी भी पक्ष द्वारा नकारा नहीं है। इस कारण वल्दियत की स्थिति स्वीकृति में शुमार होती है। हालांकि हक अधिकारों के निर्धारण हेतु न्यायालय हाजा की अधिकारिता नहीं है किन्तु दस्तावेजी साक्ष्यों से जैर निगरानी विवादित भूमि को ग्राम पंचायत द्वारा हिराराम की पुश्तैनी कब्जासुदा मानने के कारण मात्र हिराराम की पत्नी के पक्ष में जारी आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे को विधि सम्मत नहीं माना जा सकता है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है तथा ग्राम पंचायत रानीकलां द्वारा मिसल संख्या 24 दिनांक 18.02.2019 की पालना में अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 26 दिनांक 12.09.2020 विधि-विरुद्ध होने से निरस्त किया जाता है। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ ग्राम पंचायत का रिकर्ड लौटाया जावे। पत्रावली फौसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।



(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अति: जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 18.05.22 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)

अति: जिला कलेक्टर, पाली